सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 586 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2020 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

11 नवम्बर, 2020

संख्या-वन भूमि-72/2009- 3589 व०प०, --

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0-F.No.-5-2/2017-FC दिनांक-28.03.2019 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु जारी Comprehensive guideline की कंडिका-9.2(vii) के आलोक में झारखण्ड	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, झारखण्ड, रांची	अध्यक्ष

राज्य में स्वीकृति Catchment Area Treatment (CAT) Plan के प्रभावी रुप से लागू करने के संबंध में अनुश्रवण हेतु एक समिति गठित की जाती है, जो निम्नवत् हैः-1.		
2.	सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षक अधिनियम), झारखण्ड, रांची	सदस्य-सचिव
4.	निदेशक, मृदा संरक्षण, झारखण्ड, रांची	सदस्य
5.	निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, रांची	सदस्य
6.	परियोजना निदेशक, जलछाजन, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची	सदस्य
7.	झारखण्ड सरकार के संबंधित विभाग के निदेशक स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
8.	संबंधित वन संरक्षक	सदस्य
9.	परियोजना पदाधिकारी-प्रयोक्ता अधिकरण	सदस्य

2. उक्त गठित समिति विभिन्न CAT Plans के Implementation की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करेगी तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।

3. उक्त पर मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन दिनांक-07.11.2020 से प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 586 -- 50